(112)

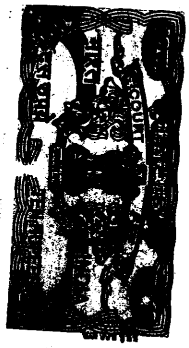

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017 विविध निग-9053-पीबीआर/17

नरेन्द्र इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड, बुरहानपुर द्वारा

1. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र छगनलाल अग्रवाल आयु लगभग 57 वर्ष निवासी 203, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर म.प्र. (संचालक)
2. श्रीमती आमादेवी पत्नि नरेन्द्र अग्रवाल आयु 57 वर्ष निवासी 203, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर म.प्र. (संचालक)
3. राहुल पुत्र नरेन्द्र अग्रवाल आयु 28 वर्ष निवासी 203, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर म.प्र. (अंशधारी)
4. श्रीमती सुषमा पत्नी अविनाश लाड आयु 51 वर्ष निवासी सिटी कोतवाली के पास, चौक बाजार बुरहानुपर म.प्र. (अंशधारी)
5. जगदीश अग्रवाल पुत्र बंशीलाल अग्रवाल आयु 50 वर्ष निवासी 203, बुरहानपुर रोड, बुरहानपुर म.प्र. (अंशधारी)
6. प्रवीण मेहता पुत्र दास मेहता आयु 55 वर्ष निवासी 139, महाजनापेठ, बुरहानपुर म.प्र. (अंशधारी)

प्रदीप श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि 15-2-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 15-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Shrivastava
प्रदीप श्रीवास्तव

.... आवेदकगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, बुरहानपुर म.प्र.

.... अनावेदक

<u>आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 32 एवं 8 म.प्र.मू.रा.सं. 1959</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कलेक्टर ऑफ स्टाम्प बुरहानपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/बी/103/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरुद्ध रिवीजन प्रस्तुत की थी जो प्रकरण क्रमांक 7022–पी.बी.आर./15 पर दर्ज हुई थी।

2. यहकि, उक्त निगरानी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.3.16 को निगरानी 7024–पी.बी.आर./15 में पारित आदेश द्वारा निराकृत की गई। आदेश की प्रति माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

"निर्णय का पैरा 7 निम्नानुसार है :–

यह आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 7022–पीबीआर/15, प्रकरण क्रमांक निगरानी 7023–पीबीआर/15 एवं प्रकरण क्रमांक 7025–पीबीआर/15 पर भी लागू होगा।"

3. यहकि, कम्प्यूटर में उक्त चारों निगरानियों के आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 7022–पीबीआर/15, प्रकरण क्रमांक निगरानी 7023–पीबीआर/15 एवं प्रकरण क्रमांक 7025–पीबीआर/15 तथा प्रकरण क्रमांक 7024–पीबीआर/15 कम्प्यूटर में उन्मान सी.के. कोट्सपिन प्रा.लि. बुरहानपुर विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प बुरहानपुर पर लोड हो गई हैं।

4. यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.16 की सत्य प्रतिलिपि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट प्रस्तुत करने हेतु प्राप्त की थी परन्तु उक्त पिटीशन प्रोपर पक्षकार के नाम की सत्य प्रतिलिपि नहीं होने से निरस्त हो गई।

5. यहकि, आवेदकगण के नाम से कम्प्यूटर में आदेश लोड होना आवश्यक है ताकि उन्हें सत्य प्रतिलिपि व उन्मान नरेन्द्र इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड, बुरहानपुर द्वारा विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, बुरहानपुर म.प्र. के नाम से प्राप्त की जा सके।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9053–पीबीआर/2017 **जिला बुरहानपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.2.2017	प्रकरण में बताई गई परिस्थिति के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये गये हैं । तदानुसार इस प्रकरण में भी आवेदक को सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध कराई जावे । इस प्रकरण में और कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है । अध्यक्ष	